राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/11/21	सत्यनारायण / हनुमान 110/2021 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने धारा 188 आर. टी. एक्ट का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के विरुद्द प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थी सत्यनारायण के विरुद्द कोई अनुतोष चाहा गया है एवं उसी वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट में भी प्रार्थी सत्यनारायण के विरुद्द कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट में पारित किये अन्तरिम आदेश के विरुद्द सीधे ही यह अपील धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ लेकर आये है, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही है यदि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश से कोई आपत्ति है तो सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बन अपना उज्र प्रकट करे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के विरुद्द कोई अनुतोष नही चाहने से प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से किसी प्रकार भी प्रभावित नही हो सकता। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी ख़ारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी जो एक सहखातेदार है को पक्षकार संयोजित किये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर जो आदेश जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिससे प्रार्थी प्रभावित हो रहा है एवं प्रार्थी के विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है। अत: प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी में यह तथ्य अंकित किया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट में पक्षकार समायोजित नही किया गया है जबकी उसके अधिकार प्रश्नगत आराजी में निहित है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी		

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
110/2021	सत्यनारायण / हनुमान	

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई राजस्व रिकार्ड की प्रति प्रस्तुत नही की है कि जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी विचाराधीन प्रकरण में किसी प्रकार प्रभावित पक्षकार दर्शित होता हो | इसके अतिरिक्त इस न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09/11/2020 के विरुद्द प्रस्तुत की गयी है जिससे अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट में अंकित अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्द अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक के लिए जारी की गयी है जो माननीय राजस्व मण्डल की पीठ (कुल बैन्च) द्वारा RRT 2014 (1) पृष्ठ संख्या 444 के अनुसार ऐसे आदेशो के विरुद्द जो एकपक्षीय एवं आगामी तारीख पेशी हेतु तक दिये गये हो, के विरुद्द अपील इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नही मानी गयी है | अत: अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार प्रभावित पक्षकार होना सिद्द नही होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी जा सकती | यदि प्रार्थी उचित समझे तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी ख़ारिज किया जाता है तदनुसार अपील अपीलार्थी संधारणीय नही रहने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 29/11/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर